प्रकरण संख्या 5/2022 प्रतापसिंह व अन्य बनाम गिरधारीसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2024	न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.11.2024 के क्रम में पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करने हेतु सहायक कलक्टर भीम को रिमाण्ड की गयी थी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से पत्रावली फैसल शुदा समझकर राजस्व रेकार्ड में डाल दी गयी तथा लम्बे समय तक अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी। बाद में अपीलान्ट अपने जानकार के साथ सहायक कलक्टर देवगढ़ में जाकर फाईल ढुढवाई तो उक्त पत्रावली रेकार्ड रूम में अस्त–व्यस्त कागजों में पड़ी हुई मिली, जिस पर पत्रावली सहायक कलक्टर देवगढ़ द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये, किन्तु पक्षकारों के नहीं आने से कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश देकर पत्रावली फैसल शुमार कर दी, जबकि आदेश 9 नियम 3 में दोनों पक्षकारों के अनुपस्थिति रहने से वाद को निरस्त किया जाता है, न कि ड्रोप किया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 67/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 16.02.2011 अनुसार प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होने पर दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही ड्रोप करते हुए अपील फैसल शुमार कर दी, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. अनुसार जहां दोनों पक्षकार अनुपस्थिति हो वहां वाद खारिज किया जाता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ड्रोप का आदेश दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत [illegible] अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 67/2010 आदेश दिनांक 16.02.20[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:15:17 IST
Reason: SelfAttested

अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया के तहत प्रकरण का निस्तारण करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:17 IST
Reason: SelfAttested